Annual Report

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष: 2016-2017

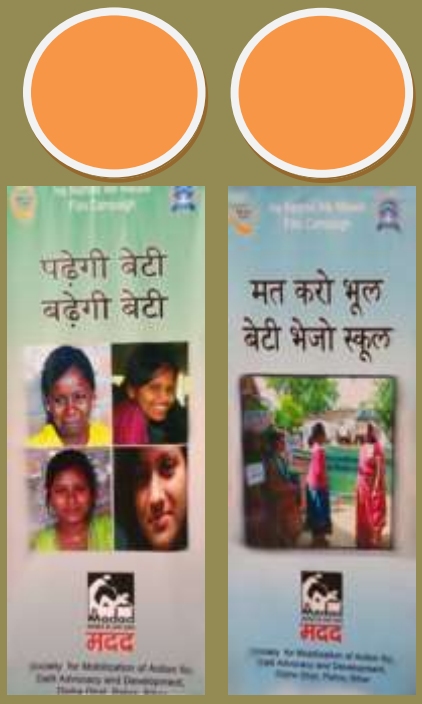

मदद

(सोसाईटी फॉर मोबिलाईजेशन ऑफ एक्शन फॉर दलित एडवोकेसी एण्ड डेवलपमेंट)
एक्स० टी० टी० आई रोड, दीघा घाट, पटना-800 011] बिहार

विषय-वस्तु

क्रम	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	3
2.	मदद संस्था - एक नजर में	4
3.	किशोरी मदद समूह हेतु सर्वेक्षण एवं समूह निर्माण - शिक्षा विकास का आधार	5
4.	राज्य स्तरीय छात्र नेता चयन की प्रक्रिया	6
5.	किशोरी समूह के छात्र नेताओं का नेतृत्व व संप्रेषण विकास प्रशिक्षण	7
6.	किशोरी शिक्षा विकास हेतु अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ बैठक	8
7.	किशोरी नामांकन हेतु पंचायत स्तरीय साइकिल रैली	8
8.	आरटीई २००९ के तहत सरकारी विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश हेतु जिला स्तरीय अभियान	8
9.	जेण्डर, यौनिकता एवं स्वास्थ्य संवेदनशीलता प्रशिक्षा	9
10.	विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण	10
11.	किशोरियों के अभिभावकों का कानूनी प्रशिक्षण	11
12.	सतत् विकास लक्ष्य-सक्रिय नागर समाज की भागीदारी	11
13.	घरेलु कामगारों का तैमासिक हाउसकीपिंग ट्रेनिंग	12
14.	घरेलु कामगारों का शैक्षणिक भ्रमण	12
15.	हमारा स्वास्थ्य हमारी आवाज अभियान	13
16.	स्टेट कन्वेशनः बालिका शिक्षा-संभावनाएं एवं चुनौतियां	14
17.	केस अध्ययन-सांझी पहल	15
18.	अखबारों के कतरन	16-17

प्रस्तावना

मदद (सोसाईटी फॉर माबिलाईजेशन ऑफ एक्शन दलित एडवोकेसी एण्ड डेवलपमेंट) एक गैर-राजनैतिक, गैर-धार्मिक एवं अलाभकारी स्वयंसेवी संस्था है जिसकी स्थापना सन् 2007 में की गई थी। मदद, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसका रजिस्ट्रेशन न०-1029/2009/10 है। संस्था विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों एवं अभिवंचितों के समूचित विकास के लिए कार्य करती है, जिसमें दलितों, आदिवासियों एवं अभिवंचितों की पहचान, मान-सम्मान, समानता, कानूनी व सामाजिक न्याय आदि शामिल हैं। संस्था वंचित समुदायों को मान-सम्मान के साथ-साथ जीवन-जीने हेतु संपूर्ण विकास करने और वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन को लाने के लिए कटिबद्ध है। संस्था लक्षित समुदायों से जुड़कर उनके सुझाव एवं विचारों को प्राथमिकता देते हुए उनके साथ काम करने में संलग्न रही है। वंचित समुदायों के बीच बुनियादि आवश्यक जरूरतों से संबंधित अधिकारों के प्रति चेतना जागृत कर संवैधानिक हक दिलाने में सहयोग प्रदान करती है। संस्था, समाज के विकास के साथ-साथ सरकार के साथ आपसी लोकतांत्रिक एवं सामुदायिक सहभागिता पर लोकाधारित अभिशासन एवं विकासात्मक प्रक्रियाओं के हस्तक्षेप से जिसमें दलितों का समुचित विकास शामिल है।

मदद संस्था का कार्यक्षेत्र बक्सर, भोजपुर एवं पटना है। संस्था, बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखण्ड के दो पंचायत, नारायणपुर एवं बसुधर पंचायत में कार्य कर रही है। यहां संस्था शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मुद्दों पर "किशोरी मदद समूह" के माध्यम से कार्य कर रही है। यह समूह ग्राम स्तरीय है। परंतु इसके छात्र नेता (गर्ल लीडर्स) पंचायत, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर कार्यरत है। छात्र नेताओं द्वारा स्वयं के स्तर से समूह का गठन, छात्र नेताओं का चुनाव, जिम्मेवारियों का सौंपना व निर्वहन करना, ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण करना, किशोरियों के विकास के लिए संबंधित समस्याओं का चिन्हितकरण करना, सामूहिकता के स्तर से समाधान करना, शिक्षा विकास हेतु विशेषरूप से नामांकन अभियान चलाना, अभिभावाकों के साथ बैठक करना, शिक्षाकों के साथ बैठक करना व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु दबाव बनाना, प्रखण्ड, जिला व राज्य स्तर पर एडवोकेसी समूह के साथ मिलकर शिक्षा की सहूलियतों के लिए पैरवी करने आदि जैसे कार्य किया जाता है। संस्था भोजपुर जिला में "महिला मदद समूह" के द्वारा बिहिया प्रखण्ड के दो पंचायतों में महिलाओं के अधिकार व विकास के लिए कार्य कर रही है, जो रिफ्लेक्ट सर्किल आधारित है।

उपरोक्त बक्सर व भोजपुर जिला की तरह संस्था, पटना के झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, किशोरियां व महिलाओं के लिए कार्य कर रही है जिसमें विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन व सरकारी योजनाओं तक पहुंच व लाभान्वितों को लाभ दिलाने का कार्य करती है। साथ ही, संस्था उनके साथ भी काम कर रही जो झुग्गी -झोपड़ियों में रहते हुए दूसरों के घरों में अलपकालिक घरेलू कामगारों (पार्ट टाईम डोमेस्टिक वर्कर्स) के तौर पर कार्य करती हैं। संस्था इनके लिए न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि के लाभ हेतु नियोजकों व सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है। इसी भांति संस्था विशेषकर उनके लिए भी काम रही हैं जो झारखण्ड, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के पूर्णिया, बांका, जमुई आदि क्षेत्रों से काम की तलाश में सहेली, मित्र, जान-पहचान या लालच में पलायन करके पटना आती हैं। संस्था इनकी पहचान करती है। आवश्यक दस्तावेज तैयार करके, एक से तीन महीने का प्रशिक्षण जिसमें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना भी शामिल है के माध्यम से सुरक्षित रोजगार से जोड़ती है।

प्रतिवेदन
मदद लेखन दल
पटना, बिहार

मदद संस्था-एक नजर में

1-संस्था का स्वप्न / विजन

न्यायपूर्ण समाज जिसमें अभिवंचित समुदाय मान-सम्मान के साथ जी सके।

2-संस्था का लक्ष्य/ मिशन

अभिवंचित समुदाय का संपूर्ण समावेशी विकास करना विशेषकर किशोरियों एवं महिलाओं के हितों के लिए जन-वकालत/जन-पैरवी करना।

3-संस्था के मूल्य एवं सिद्धान्त

समानता, न्याय, कर्तव्यनिष्ठा, जवाबदारी, हिसाबदारी, गुणवत्ता, सामूहिकता, सहभागिता, आपसी सदभाव, सम्मान, विश्वास, लोकतांत्रिक निर्णय, अवसर, आपसी सहयोग एवं पारदर्शिता।

4-उद्देश्य

- अल्पकालिन घरेलु कामगार, पूर्णकालिन घरेलू कामगार, किशोरी एवं दलित महिलाओं को क्रियाशील शिक्षा के तहत जागरूक करना।
- अल्पकालिन घरेलु कामगार, पूर्णकालिन घरेलू कामगार, किशोरी एवं दलित महिलाओं को क्रियाशील शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन से जोड़ना।
- अल्पकालिन घरेलु कामगार, पूर्णकालिन घरेलू कामगार, किशोरी एवं दलित महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना।
- अल्पकालिन घरेलु कामगार, पूर्णकालिन घरेलू कामगार, किशोरी एवं दलित महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं की जानकारी, पहुंच एवं लाभ दिलाने के लिए उन्हें प्रेरित एवं वकालत करना।
- अल्पकालिन घरेलु कामगार, पूर्णकालिन घरेलू कामगार, किशोरी एवं दलित महिलाओं को सामाजिक विश्लेषण के द्वारा समाज में होने वाले जाति, लिंग, जेण्डर आदि के आधार पर होने वाले भेदभावों के प्रति जागरूक करना।
- अल्पकालिन घरेलु कामगार, पूर्णकालिन घरेलू कामगार, किशोरी एवं दलित महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव एव बेहतर न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए सरकार की नीतियां में बदलाव हेतु वकालत करना।
- अल्पकालिन घरेलु कामगार, पूर्णकालिन घरेलू कामगार, किशोरी एवं दलित महिलाओं को दक्षता विकास प्रशिक्षण के माध्यम से जानकारी एवं दक्षता विकसित करना।
- अल्पकालिन घरेलु कामगार, पूर्णकालिन घरेलू कामगार, किशोरी एवं दलित महिलाओं को स्वरोजार एवं सरकारी अनुदान प्राप्त अवसरों के प्रति जानकारी, पहुंच व लाभ दिलाना।
- पलायन की हुई घरेलू कामगार, किशोरी एवं महिलाओं की पहचान, प्रशिक्षण एवं सुरक्षित रोजगार की जानकारी महैया कराना।
- सरकार द्वारा घरेलू कामागारें दलित महिला मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मुहैया कराना।
- निर्धारित क्षेत्रों के ग्राम्य स्तरीय दलित व अभिवंचित समुदायों की समस्याओं की पहचान करना एवं समस्याओं के निवारण हेतु इन समुदायों में सामूहिक नेतृत्व की सोच पैदा करना तथा संवैधानिक अधिकारों के प्रति चेतनशील बनाना।
- निर्धारित क्षेत्रों के ग्राम्य स्तरीय दलित व अभिवंचित समुदायों में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक मुद्दों पर लक्षित समुदायों को जागरूक कर सामाधान की दिशा में कानूनी प्रावधानों की जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित करना।
- ग्रामीण सदस्यों एवं नेतृत्वकर्ताओं का चयन कर समस्याओं के सामाधान की दिशा में उन्हें जवाबदेह एवं जिम्मेवार बनाना।
- स्थायी आजीविका जैसे-रोजगार एवं स्व-रोजगार प्रदान करने की दिशा में सम्बन्धित सरकारी और निजी संस्थानों से जोड़ना एवं उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कराना ।
- सरकार के द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों, जैसे-आरएसबीवाई, जेएसवाई, मनरेगा आदि में सहयोग प्रदान करना।

5-कार्यक्षेत्र

-पटना अरबन स्लम/पटना के झुग्गी-झोपड़ी-25
-भोजपुर जिला के बिहिया प्रखण्ड के कमरियांव पंचायत के 11 गांव
-बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखण्ड के नारायणपुर पंचायत के 9 गांव

6-लक्ष्य समूह

-पटना अरबन स्लम- अल्पकालिन व पूर्णकालिन घरेलु कामगार महिलाएं, किशोरियां एवं बच्चे
-भोजपुर-दलित पुरूष, महिलाएं एवं किशोरियां
-बक्सर-किशोरियां एवं महिलाएं

किशोरी मदद समूह हेतु सर्वेक्षण एवं समूह निर्माण - शिक्षा विकास का आधार

बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखण्ड में मलाला प्रोजेक्ट अंतर्गत छीजित किशोरियों (ड्रॉप आउट गर्ल्स) को चिन्हित करने एवं उन्हें विद्यालयों में पुनः नामांकित करने हेतु सर्वेक्षण कार्य एवं उसके खास अनुभव

मदद (सोसाईटी फॉर मोबिलाईजेशन ऑफ एक्शन फॉर दलित एडवोकेसी एण्ड डेवलपमेंट) एवं नेशनल कोएलिशन फॉर एडुकेशन (एनसीए) नई दिल्ली के संयुक्त प्रयास बक्सर जिला के इटाढ़ी प्रखण्ड के नारायणपुर पंचायत एवं बसुधर पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम व अतिपिछड़ी जातियों की किशोरियां जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुकी है या स्कूल से बाहर है, उन किशोरियों को चिन्हित करने एवं पुनः नामांकित करने हेतु 10 गांवों में सर्वेक्षण किया गया।

सर्वेक्षण कार्यक्रम, जिला अधिकारी, बक्सर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, बक्सर एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, इटाढी को सूचित करते हुए विधिवत शुरूआत की गई। सर्वेक्षण के दौरान किशोरियां एवं उनके अभिभावक खुलकर बातचीत करें इसके लिए सर्वेक्षणकर्ता के रूप में मदद संस्था से जुड़ी किशोरी एवं महिला कार्यकर्ता को शामिल किया गया। सर्वेक्षण कार्य सूचनाप्रद एवं उपयोगी हो इसके लिए सर्वप्रथम किशोरियों के समूह के नेतृत्वकर्ता, मदद संस्था के कार्यकर्ता, समाजसेवी आदि को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही प्रशिक्षणोंपरांत सभी सर्वेक्षणकर्ताओं को सर्वेक्षण करने हेतु एक विशेष किट प्रदान किया गया।

इस कार्यक्रम में चार प्रकार के विद्यालयों को शामिल किया गया है जैसे-प्राथमिक-१ से ५वीं तक, उच्च प्राथमिक, 6-8 वीं तक, माध्यमिक, 9-10 वीं तक तथा उच्च माध्यमिक, 11-12 वीं तक। सर्वेक्षण कार्य बेहतर व प्रभावी तरीके से क्रियान्वित हो तथा लक्ष्य आधारित परिणाम प्राप्त हो इसके लिए संबंधित क्षेत्रों के शिक्षकों एवं अभिभावकों को सूचित किया गया।

lo{k.k dk vuHko

सकारात्मक

- सर्वेक्षण कार्य में किशोरियों का सहयोग प्राप्त हुआ।
- जिलाधिकारी, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी ने भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया।
- किशोरियों के शिक्षा विकास के साथ स्वास्थ्य की जानकारी व लाभ हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इटाढ़ी व युवा क्लिनिक कार्यक्रम, इटाढ़ी से जोड़ने, प्रशिक्षण देने, हेल्थ-हाईजिन कीट प्रदान करने हेतु आम सहमति बनी।
- शिक्षकों व जनप्रतिनिधियों का अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुआ।
- अभिभावकों द्वारा आने वाले समय में सहयोग करने की बात सामने आई।

नाकारात्मक

किशोरियों के विकास में भाई का सहयोग नहीं करना/बाधक

(सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि लड़कियों के भाई नहीं चाहते हैं कि हमारी बहन कहीं बाहर जाए। यह वाजिब भी है क्योंकि हम सभी संगठन या संस्था के लोग सिर्फ बुजुर्ग, असहाय, महिला, किशोरी आदि को लक्ष्य समूह समझते है और लड़कों को नजर अंदाज कर देते हैं जो बाधक के रूप में पेश आते हैं हमें इनकी भी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि हमारा कार्यक्रम और बेहतर रूप से नियोजित, क्रियान्वित एवं निष्पादित हो सके।)

- माता-पिता लड़कों को पढाना शान समझते हैं।
  (अभिभावक लड़कों को उच्च शिक्षा के लिए खेत, जेवर आदि गिरवी रखने को तैयार हैं परंतु लड़की के प्रति उदासीनता है, क्योंकि बेटा पढ़ेगा तो ज्यादा तिलक मिलेगा, घर का नाम रौशन होगा, समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा)
- लड़की ज्यादा पढ़कर क्या करेगी, दूसरे घर तो जाना है।
- बेटी के प्रति मां की नजरिया
  (मां का कहना है बेटी ज्यादा पढ़ेगी तो बहक जायेगी, किसी लड़का के साथ में भाग जायेगी। बेटी तो दूसरे घर की अमानत है, जहां जायेगी वहां के लोग होगा तो पढ़ायेंगे)

राज्य स्तरीय छात्र नेता चयन की प्रक्रिया

मदद संस्था लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास करती है। जब "ही नेम्ड मी मलाला फिल्म कैंपेन" अर्थात मलाला परियोजना की शुरूआत सर्वेक्षण कार्य से किया गया था। उस वक्त भी इस कार्यक्रम में ८० फीसदी सहयोग किशोरियों से लिया गया था। सर्वे हो या विभिन्न स्तरों पर छात्र नेताओं का चयन एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है।

- मौखिक एवं लिखित सूचना संप्रेषण/जानकारी देना।
- बैठक, कार्यक्रम, प्रशिक्षण, जागरूकता आदि कार्यक्रम में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- समस्याओं की पहचान, विश्लेषण व सामूहिकता के आधार पर समाधान के उपाय ढूंढना।
- आपसी बातचीत व सर्वसम्मति से निर्णय लेना।
- विभिन्न स्तरों पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत या सर्व सम्मति से छात्र नेताओं का चुनाव करना।
- छात्र नेताओं के चुनाव से पूर्व यह घोषित करना कि छात्र नेता कौन होने चाहिए, उनकी योग्यता, गुण, उनके कार्य व दायित्व क्या होने चाहिए?

राज्य स्तरीय छात्र नेताओं के चयन का मापदण्ड

मलाला परियोजना के तहत् संबंधित परियोजना क्षेत्र से टोला/पंचायत एवं जिला स्तरीय तमाम किशोरियो के द्वारा निम्नवत मापदण्ड के आधार पर राज्य स्तरीय छात्र नेताओं का चयन सर्वसम्मति के आधार पर किया गया है, जैसे-

- व्यवहारिकता-राज्य स्तरी छात्र नेताओं के रूप में वैसी किशोरी जो ज्यादा व्यवहारिक होती है, शिष्टाचार, अनुशासन व समयपालन को महत्व देती हैं उन्हें तमाम किशोरियां पसंद करती है व स्वयं के आधार पर अपना नेता मान लेती है जिसका आसानी से सर्वसम्मति से चुनाव किया गया है।
- प्रभावी वक्ता-चयनित किशोरियां स्वयं, समूह की बातों को प्रभावी रूप से किसी भी मंच पर रख सकती है। इनमें कोई लोकलाज, झिझक नहीं होता है। वैसी किशोरियों को नेता क
- सक्रिय सहभागिता-ये हरेक कामों में सहयोग करती हैं। साथ ही सभी किशोरियों को एक साथ, एक मंच पर लाने में सक्षम है। इनकी बातें सभी किशोरिया मानती भी हैं।
- बेहतर जानकारी रखना-अन्य किशोरियों की अपेक्षा ये कुछ ज्यादा जानकारी रखती है व जानकारी रखने, सीखने की ललक रखती है।
- बेहतर समझ-चयनित किशोरियां हरेक कार्य करने की बेहतर समझ रखती है।
- जागरूकता व विकासात्मक कार्यों के लिए चिंतित रहना-समूह की बैठक हो, अभिभावक के साथ बातचीत हो, प्रखण्ड स्तर तक जाना हो या चाहे वह गांव-गांव जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन या संचालन हो ये छात्र नेता आगे बढ़कर नेतृत्व खुद अपने हाथों में लेती हैं।
- सामाजिक कार्यों में बढ-चढ़कर हिस्सा लेना।
- संस्थागत व सामाजिक कार्यों में रूचि लेना व सहय ोग करना आदि

उपरोक्त सभी गुणों वाली छात्र नेता को स्वयं समूह की किशोरियों चुनती है जो आगे चलकर दिल्ली व अन्य कार्यों की प्रस्तुती देंगी व नेतृत्व प्रदान करेंगी।

किशोरी मदद समूह के छात्र नेताओं का नेतृत्व एवं संप्रेषण विकास प्रशिक्षण

जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान बालिका शिक्षा में अभी काफी पीछे है। नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन (एनसीए) नई दिल्ली अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर उपरोक्त तीनों राज्यों में यथा बिहार, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में बालिका शिक्षा में सुधार एवं 18 वर्ष तक की किशोरियों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 में संशोधन के लिए एक अभियान की शुरूआत की है यह परियोजना मलाला अनुदान के सहयोग से एक वर्ष के लिए कियान्वित की गई है जिसके निम्नवत उद्देश्य हैं–

1. किशोरियों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, नीतिनिर्धारकों, मीडिया तथा नागर समाज में बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशील एवं जागरूक करना।
2. बालिका शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाली गर्ल लीडर की क्षमता व दक्षता की समझ विकसित करना।
3. बालिका शिक्षा में सुधार एवं प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक एवं विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को संवेदनशीलता एवं क्षमतावर्द्धन के साथ परियोजना कार्य में सहभागी बनाना।
4. 18 वर्ष तक की किशोरियों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए **मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा** vf/kfu;e 2009 में संशोधन हेतु जनवकालत करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन (एनसीए) नई दिल्ली एवं मदद (सोसाईटी फॉर मोबिलाईजेशन ऑफ एक्शन फॉर दलित एडवोकेसी एण्ड डेवलपमेंट) बक्सर, बिहार के संयुक्त प्रयास इटाढ़ी प्रखण्ड के दो पंचायतों के 10 गांवों में प्रभावी रूप से परियोजना का कियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना कि अंतर्गत सर्वेक्षण, आंकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, गर्ल लीडर की पहचान, जिला स्तरीय समूह निर्माण आदि के कार्य निष्पादित हैं।

नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण में उपस्थित अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम व अतिपिछड़ी जातियों की किशोरियां को दक्ष प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में नेतृत्व, नेतृत्वकर्ता, नेतृत्व के प्रकार, नेतृत्वकर्ता के कार्य एवं कर्तव्य, प्रभावी संप्रेषण, लोकसंपर्ककर्ता की भूमिका व कार्य, समूह/दल निर्माण की प्रक्रिया व डायनेमिक्स की समझ, कार्यनियोजन, कियान्वयन, निष्पादन से पूर्व देखरेख, मूल्यांकन व प्रतिवेदन लेखन की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी की समझ विकसित की गई। साथ ही प्रशिक्षण के अंत में कार्ययोजना निर्माण के तहत् परियोजना क्षेत्र की छीजित किशोरियों (ड्रॉप आउट गर्ल्स) विद्यालय से बाहर रहने वाली किशोरियों (आउट ऑफ स्कूल) को अपने गांव की तमाम किशोरियों को पुनः विद्यालयों में नामांकित करने हेतु विशेष योजना व जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया।

Hkfo"; dh dk;Z ;kstuk

- प्रशिक्षणोंपरांत अभिभाक को प्रशिक्षण के बारे में बताना।
- 6–18 आयु वर्ग की किशोरियों की पहचान करना, सूची बनाना तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक को सौपना।
- छीजित किशोरियों का नामांकन कराने में सहयोग करना।
- विद्यालय के शिक्षक के साथ होने वाली बैठकों में सहयोग करना।
- विद्यालय शिक्षा समिति के साथ होने वाली बैठकों में सहयोग करना।
- संस्था के साथ होने वाली बैठकों में सहयोग करना।
- गर्ल लीडर अपने विकास के लिए मदद संस्था के साथ चर्चा करना
- हर तीन माह में पंचायत स्तर पर गर्ल लीडर के साथ बैठक करना।

भविष्य की कार्ययोजना निर्माण के बाद प्रशिक्षण का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन लिखित रूप से लिया गय। मूल्यांकन से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह पाया गया कि तकरीबन 92 प्रतिशत किशोरियों ने प्रशिक्षण को बेहतर माना। 8 प्रतिशत ने औसत बताया। अंत में प्रशिक्षण की समाप्ति की घोषणा की गई।

किशोरी शिक्षा विकास हेतु अभिभावकों एवं शिक्षकों के साथ बैठक

जैसा कि हम सभी जानते है कि किसी भी बालक-बालिका की नैतिकता, ज्ञान, संस्कार, अनुशासन, विकास आदि उसके माता-पिता के द्वारा विरासत में प्रदान होता है। यह भी कहा गया है कि मां अपने बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है। उसे घर से ही उसके आचार-विचार व संपेषण के तमाम अवयव विकसित किये जाते है। हालांकि कुछ बच्चों के अभिभावकों की निष्क्रियता, उदासीनता, जागरूकता की कमी, शिक्षा के प्रति लापरवाही आदि के कारण बच्चों की विद्यालयी शिक्षा बाधित होती है। इस व्यवधान के अपने कुछ बुनियादी मजबूरियां भी हैं, जैसे-अभिभावक की आर्थिक स्थिति का बेहतर नहीं होना, शिक्षा व व्यवस्था का अनुकूल वातावरण नहीं होना, सामाजिकता, शिक्षा के प्रति जागरूक या गंभीरता से नहीं लेना आदि।
उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए संस्था, ग्राम स्तरीय अभिभावकों की त्रैमासिक बैठक का आयोजन करती है। इस बैठक में तकरीबन सभी माता-पिता व अभिभावक उपस्थित होते हैं। बैठक एक विशेष प्रकियाओं के तहत संचालित की जाती है। बैठक में विशेष रूप से किशोरियों की प्रगति, सुरक्षा, मान-सम्मान, जेण्डर भेदभाव, शिक्षा के प्रति अभिभावकों की सक्रिय भूमिका एवं सहभागिता, छीजित बच्चों के पुनः नामांकन में सहयोग, विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की विद्यालय में नामांकन एवं स्थापना आदि मुद्दों पर चर्चा की जाती है। साथ ही अभिभावकों से आपेक्षित सहयोग के साथ उनकी भूमिकाओं को सुनिश्चित करती है।
इसके साथ ही विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आनन्ददायी शिक्षा प्राप्त हो इसके लिए शिक्षक के साथ भी बैठक की जाती है। शिक्षक बच्चों को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित एवं भेदभाव नहीं करें इसके लिए भी बैठक में जोर दिया जाता है। विद्यालय शिक्षा समिति से जुड़े सदस्यों की सहभागिता एवं योजना निर्माण में आपेक्षित योगदान पर चर्चा भी की जाती है। इसके साथ ही विद्यालय में बच्चों का ठहराव, मुहिम कार्यक्रम के तहत् पोषक क्षेत्र के माता-पिता से संपर्क एवं बच्चों की समस्या एवं प्रगति के बारे में बातचीत करना, विद्यालय में बच्चों के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद के लिए आवश्यक संसाधन की उपलब्धता आदि पर चर्चा की जाती है। इस बैठक के जरिये संबंधित क्षेत्रों में बच्चों के छीजन में कमी आयी है। शिक्षकों की नियमित व ससमय उपस्थिति दर्ज होने लगी है। संस्था, अभिभावक व शिक्षक के साथ आपसी जुडाव स्थापित हुए हैं।

किशोरी नामांकन हेतु पंचायत स्तरीय साइकिल रैली

बक्सर। किशोरी मदद समूह के द्वारा दो पंचायत, बसुधर एवं नारायणपुर में साइकिल रैली निकालकर बालिकाओं ने अपने-अपने गांवों के संबंधित विद्यालयों में नामांकन हेतु अभिभावकों को जागरूक किया। श्री श्याम लाल राम, भूतपूर्व सैनिक ने साइकिल रैली का विधिवत उद्घाटन व झण्डी दिखाते हुए रवाना किया। इस रैली में तमाम समूह की सदस्यों ने भाग लिया। यह रैली सर्वप्रथम मनोहरपुर गांव से शुरू की गई जो नारायणपुर, बगही, खेखसी, पसहरा, ओराप, धर्मपुरा, डेहरियां, कवलपोखर, बसुधर होते पसहरा लख पर सभा में तबदील हो गई। रैली के दौरान किशोरियों ने हर गांव में रूक कर पूर्व से निर्धारित बैठक में अपनी बेटियों को स्कूल भेजने एवं नामांकन करवाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित व आग्रह किया। इस कार्य में पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधियों ने सहयोग किया। साथ ही संबंधित शिक्षकों ने भी खुलकर साथ दिया। रैली के अंतर्गत १० गांवों को कवर करना था इसके लिए पूर्व में ही विशेष कार्यनीति बनायी गई थी।जैसे-

- आम सहमति के आधार पर तिथि एवं स्थल का निर्धारण करना।
- साइकिल चलाने वाली किशोरियों की सूची बनाना।
- साइकिल की व्यवस्था करना।
- रैली के दौरान साइकिल खराब होने की स्थिति में रिपेयरिंग किट की व्यवस्था करना तथा फर्स्ट एड बॉक्स का इंतेजाम करना।
- सर्व सम्मति से दलनेता का चयन करना।
- रैली के दौरान जल, नाश्ता आदि की व्यवस्था करना।
- हर गांव में अभिभावकों के साथ बैठक व चर्चा करना।
- ग्राम स्तरीय चर्चा हेतु संबंधित पंचयात स्तरीय छात्र नेता का चुनाव करना व जिम्मेवारी सौंपना।
- अभिभावकों के विचार व सुझाव को लिखना व प्रतिवेदन तैयार करना।

आरटीई 2009 के तहत सरकारी विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश हेतु नामांकन अभियान

<u>वंचित वर्ग आवेदन के लिए दस्तावेज</u>

जाति प्रमाण के लिए - तहसीलदार/अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र माता-पिता/अभिभावक के नाम का निवास प्रमाण पत्र के लिए (कोई एक) - राशन कार्ड, पासपोर्ट, डोमिसाइल, वोटिंगकार्ड, पानी/बिजली बिल, *MTNL* फोन बिल।

जन्म तिथि प्रमाण के लिए - जन्मतिथि प्रमाण पत्र/मां-बाप द्वारा स्वयं घोषित प्रमाण पत्र

विकलांग या विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए विकलांगता व संबंधित विशेष जरूरत प्रमाण पत्र

अनाथ/बेघर बच्चों का निजी स्कूलों में प्रवेश किशोर न्याय नियम, *2007* व *RTE Act 2009* के अर्थानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग से जारी निर्देशानुसार घोषित 'अनाथ' प्रमाण पत्र के आधार पर होगा।

कौन ले सकता है दाखिला?

- वंचित वर्ग - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनाथ, पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर से नीचे) विकलांग एवं बेघर व एलजीबीटी (ट्रांसजेण्डर/द्विलिंगी) बच्चे।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (१ लाख से कम आय वाले अभिभावकों के बच्चे)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आवेदन हेतु दस्तावेज

– आय प्रमाण के लिए - तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र/खाद्य सुरक्षा कार्ड

– अगली श्रेणी में आय प्रमाण के लिए माता-पिता/अभिभावक द्वारा स्वयं घोषणा पत्र

– निवास प्रमाण के लिए (कोई एक) - राशन कार्ड, निवास प्रमाण, मतदाता कार्ड, पानी/बिजली, MTNL फोन बिल, पासपोर्ट

– जन्म तिथि प्रमाण के लिए - जन्मतिथि प्रमाण पत्र/मां-बाप द्वारा स्वयं घोषित प्रमाण पत्र।

जेंण्डर, यौनिकता, स्वास्थ्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण

जेंडर, यौनिकता, स्वास्थ्य संवेदनशालता के विषय पर समूह से जुड़ी तमाम गर्ल लीडर का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद यह तय किया गया कि वापस जाने के बाद सभी समूह के सदस्यों को अपने स्तर से प्रशिक्षण देना है। प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित मुददों परे गहन रूप से चर्चा की गई। साथ ही अभ्यास भी कराया गया, जैसे-

जेंडर सेंसिटाईजेशन-लिंग संवेदनशीलता का अभाव

संबंधित क्षेत्र में लड़कों को ज्यादा पढ़ाने पर जोर दिया जाता है बनिस्पति लड़की। उदाहरण के लिए-छोटा भाई हो या बड़ा किशोरी का काम है भाईयों की देखभाल करना, खाना बनाना, खाना परोसना, कपड़े साफ करना, एक पैर पर खड़ा रहना, डांट सहना, भाईयों के बाद भोजन करना, पूजा करना आदि। इस कार्य में मां ज्यादा दोषी है।

शिक्षा के प्रति लापरवाह

प्रशिक्षण के दौरान किशोरियों के चर्चा से ऐसा प्रतीत हुआ कि ज्यादातर अभिभावक अपने बेटियों की शिक्षा विकास के प्रति बहुत ही लापरवाह हैं। शिक्षा को महज खानापूर्ति समझते हैं, बस शादी के लिए थोड़ी पढ़ जायें इसकी चिंता में रहते है।

जागरूकता का अभाव

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की बहुत कमी है। अभिभावकों को जागरूक करना अति आवश्यक है। यदि किसी अभिभावक को ५-६ बच्चे हैं तो उन्हें यह भी पता नही है कि हमारा बच्चा कौन-किस क्लास में है। यहां तक की कोई-कोई अभिभावक सभी बच्चों का नाम भी नही जानते हैं। ज्यादा बच्चा होने के चलते नाम भूल जाते हैं।

शिक्षा के महत्व को नहीं समझना

ज्यादातर किशोरियां सरकार के द्वारा दिये जाने वाले मुफ्त पोशाक, साईकिल व पाठ्य-पुस्तक की उपलब्धता व प्राप्ति के लिए एक वातावरण में बंधकर विद्यालय जा रही है। विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता, सीख, समझ व बेहतर विकास पर जरा भी ध्यान नही है।

मानसिक व शारीरिक बोझ

विद्यालयों में किशोरियों की उपस्थिति एक बड़ा मुद्दा है। यदि जो किशोरियां स्कूल जा भी रही हैं तो उनका सारा ध्यान व मानसिक दबाव घर के कार्यों एवं अभिभावक के खेती-गृहस्ती के कार्यों में लगा रहता है। इन कामों की वजह से बेहतर पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। साथ ही गुणात्मक शिक्षा का अभाव भी देखा गया। सच्चाई है कि यहां अभिभावक किशोरियों को अपने कामों में जबरदस्ती जोड़ना अपना अधिकार व शान समझते हैं।)

आर्थिक स्थिति/गरीबी

कुछ अभिभावक चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े परंतु गरीबी के चलते आगे की पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हो जाते हैं। मजबूरन बेटी को आगे की पढ़ाई रोक देते हैं और खेती-मजदूरी आदि के कार्यों में जोड़ देते हैं। गरीबी के चलते भी किशोरियां छीजित हैं।)

स्वास्थ्य-स्वच्छता के प्रति उदासीन

अभिभावक ही नहीं किशोरियां भी अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हैं। स्वास्थ्य क्या है ? हम अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करें, इसके बारे में फिल्म व स्लाईड के माध्यम से समझाया गया।

सामाजिकता

भले ही हमारा समाज यह कहते नहीं थकता है कि आधी आबादी या आधी दुनिया महिलाओं की है परंतु यदि हम धरातल की बात करें तो गांवों में ऐसा नहीं दिखा। आज भी ज्यादातर किशोरियां छीजित हैं, विद्यालय से बाहर हैं। आज भी थोड़ी शिक्षा देने के बाद बाल विवाह कर दिया जाता है। आज भी समाज लड़कियों के प्रति असंवेदनशील है।

विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण

विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों का दो दिवसीय क्षमता विकास प्रशिक्षण का आयोजन नेशनल कोएलीशन फॉर एजूकेशन, (एनसीए), सी. एस. ई. एफ. एवं मदद (सोसाईटी फॉर मोबिलाईजेशन ऑफ एक्शन फॉर दलित एडवोकेसी एण्ड डेवलपमेंट) बक्सर, बिहार के संयुक्त प्रयास से किया। प्रशिक्षण में विशेष रूप से शिक्षा के अधिकार कानून २००९ की जानकारी, जेण्डर एवं बालिका शिक्षा, विद्यालय विकास योजना का निर्माण, विद्यालय शिक्षा समिति के कार्य एवं दायित्व आदि के बारे में चर्चा एवं सहभागी प्रकिया के तहत् जानकारी व जागरूकता की समझ विकसित की गई।

प्रशिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य जैसे-

1. **बच्चों के अधिकार के बारे में जानकारी की समझ विकसित करना।**
2. **जेण्डर एवं बालिका शिक्षा के बारे में जानकारी देना।**
3. **विद्यालय शिक्षा समिति के कार्य एवं दायित्व के बारे में जानकारी देना।**
4. **विद्यालय विकास योजना निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी की समझ विकसित करना।**

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम २००९ की धारा ३८ में प्रदत शक्तियों के आलोक में एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली २०११ के उपर विस्तृत रूप से चर्चा एवं समझ विकसित की गई। विशेषकर चर्चा के तहत ६-१४ आयु वर्ग के सभी बच्चो को शिक्षा का मौलिक अधिकार जिसमें कोई भी बच्चा स्कूल दिवस में कही भी स्कूल के बाहर नही होना चाहिए, बाल मजदूरी नहीं कर रहा हो और किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार नही हो इन बिंदुओं पर विभिन्न गतिविधियो के माध्यम से जानकारी व जागरूकता की समझ विकसित की गई। होना चाहिए । साथ ही हर विद्यालय में बच्चो के अधिकार यानि बुनयादी शिक्षा पाने ओर भेद भावपूर्ण माहौल से परे सुरक्षित वातावरण मिले, इसके लिए एससीपीसीआर कार्य करें यद्यदि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है या उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तों ऐसी स्तिथि में निपटने का दायित्व एससीपीसीआर का होगा। यह अधिनियम बच्चो का अधिकारो से जूरी किसी भी मामले को निपटने की समय सीमा ३ माह तय करता है। जाति, वर्ण, धर्म, भाषा, सम्प्रदाय, लिंग आदि के आधार पर किसी भी बच्चे/बच्चियों के साथ भेदभावपूर्ण बरताव न हो इसके लिए सभी प्रावधानों के बारे में समझाया गया। साथ ही विशेष प्रकिया व प्रपत्रों के माध्यम से विद्यालय विकास योजना निर्माण के बारे में चर्चा एवं अभ्यास कराया गया। अंत में व्यक्तिगत एवं विद्यालय स्तर विद्यालय विकास योजना निर्माण पर कराया गया समझ व सीख के आधार पर काफी बेहतर रहा।

किशोरियों के अभिभावकों का कानूनी प्रशिक्षण

परियोजना से संबंधित किशोरियों के माताओं को पंचायत स्तरीय श्री उदय कुमार, एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा एक दिवसीय "घरेलू हिंसा अधिनियम २००५" के बारे में जानकारी एवं जागरूकता की समझ विकसित की गई। इस प्रशिक्षण में हरेक गांव से ३-३ महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का विधिवत् उद्घाटन बाबा साहब डा० भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया।

जैसा कि हम जानते हैं, दलितों/अभिवंचितों को संविधान में प्रदत् मौलिक अधिकारों के साथ-साथ कानूनी अधिकार भी दिये गये है जिसमें घरेलु हिंसा अधिनियम २००५, अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम १९८९, सूचना के अधिकार अधिनियम २००५, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम २००५ शामिल आदि। इन अधिनियमों के तहत् भाग लेने वाले प्रतिभागियों में ज्ञान, जानकारी, जागरूकता आधारित समझ विकसित की गई। प्रशिक्षण के दौरान घरों में होने वाली हिंसा के प्रकार व उसकी पहचान के बारे में छोटे समूह में चर्चा व प्रस्तुति की गई। प्रस्तुति के बाद प्रतिभागियों से उनकी समझ के बारे में बारी-बारी से पूछा गया। प्रतिभागियों ने कहा कि हिंसा के प्रकार की समझ बनी है। अब मैं, घरों में होने वाले हिंसा के प्रति मुखर हो सकती हूं, आवाज उठा सकती हूं। शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न के प्रति समझ बनी है। पूर्व में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या मैं अंतर नहीं कर पाती थी पर आज इसका डटकर मुकाबला कर सकती हूं। हालांकि आज भी पितृसत्ता वाला समाज अपनी रौब, सत्ताधारी होने का अहसास दिलाता है। परंतु आज तथाकथित तस्वीरें धुंधली होने की एवज् में साफ होने लगी हैं। हमने पति और परमेश्वर में फर्क करना सीख लिया है। वही विधवा को अशुभ बनाना, लड़की के जनम के लिए महिला को दोषी बनाना, कन्या भ्रूण पाये जाने पर गर्भपात करावाने के लिए मजबूर करना, बच्चे न होने के लिए महिला को दोषी ठहराना आदि के लिए प्रतिकार कर सकती हूं।

क्षमतावृद्धि के तहत् अभिवंचितों के अगुवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति अत्याचार अधिनियम १९८९ के बारे में जानकारी व जागरूकता की समझ विकसित की गई जिसमें अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजातियों पर इस तरह के अपराध के परीक्षण तथा पीड़ितों को राहत और पूनर्वास और अपराध से सम्बन्धित कानून के लिए विशेष अदालतों का उपलब्ध कराने हेतु अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अत्याचार के अपराध को रोकने प्रतिबन्धित करने के बारे जानकारी दी गई। दलित एवं अभिवंचित समुदाय संविधान प्रदत अनुसूचित जाति/अनुसुचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की तमाम धाराओं, अप-धाराओं के बारे में जानकारी एवं कहां इसे इस्तेमाल करना है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही सूचना के अधिकार व आवेदन करने के लिए अभ्यास कराया गया।

सतत् विकास लक्ष्य-सक्रिय नागर समाज की भागीदारी

दिनांक- २५ अप्रैल २०१७ को मदद (सोसाईटी फॉर मोबिलाईजेशन ऑफ एक्शन फॉर दलित एडवोकेसी एण्ड डेवलपमेंट) एवं नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन नई दिल्ली के संयुक्त प्रयास से सतत विकास लक्ष्य-४ के तहत् सक्रिय नागरिक भागीदारी के लिए उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने (Ensuring accountability for SDG4 and active citizen participation) हेत जिला स्तरीय कार्यक्रम बक्सर, बिहार में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रो० (डा०) दीपक कुमार राय, प्रिंसिपल, संत ग्राम्यांचल डिग्री कॉलेज, बक्सर बिहार एवं बलिया, यूपी के द्वारा किया गया जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री कुमार नयन, बिहार राज्य भाषा दिनकर पुरस्कार से सम्मानित ने किया। इस कार्यक्रम में शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी, पत्रकार, शिक्षक, शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, विद्यालय शिक्षा समिति सदस्य, छात्र-छात्राएं, विकास मित्र, पंचायत जनप्रतिनिधि, अभिभावक, सिविल सोसाईटी आदि ने भाग लिया। साथ ही सभी ने गुणवत्तापूर्ण, शिक्षा, समावेशी शिक्षा व विकास, मुफ्त एवं समान शिक्षा के प्रति अपनी कटिबद्धता जतायी। साथ ही इस आयोजन से नागर समाज सहित अन्य संदेश देने, जागरूक करने एवं उनकी प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की गई। सभी प्रतिभागियों ने एक स्वर में इस अभियान को गति देने एवं अपनी सहभागिता देने के लिए हामी भरी। साथ ही यह भी तय किया गया कि जो उद्देश्य तय किये गये है उसे अपने स्तर से हर हाल में पूरा किया जायेगा।

कार्यक्रम में निम्नलिखित उद्देश्यों को स्पष्ट किया। जैसे-

- एसडीजी-४ एजेंडे के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए युवाओं और वयस्कों के लक्ष्यों की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- सतत् विकास लक्ष्यों के कियान्वयन की प्रकिया में नागर समाज संगठनों को उपयुक्त स्थान देना।

- १२ वर्ष तक मुफ्त शिक्षा के लिए एसडीजी-४ की प्रतिबद्धता, प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक-राष्ट्रीय शिक्षा योजना, बजट और ओडीए में शिक्षा के लिए प्राथमिकता देना।
- प्रत्येक छात्र को एक पेशेवर प्रशिक्षित, योग्य, समर्थित एवं प्रेरित शिक्षक द्वारा पढ़ाने पर जोर देना व निगरानी रखना ।
- सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा योजना में युवाओं, वयस्कों तथा वंचित आबादी को गंभीरता से सम्मिलित करना ताकि शिक्षा २०३० एजेंडा सभी नागरिकों की जरूरतों को पूरा कर सके।
- विभिन्न प्रकार से योग्य (Differently Abled) बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, एवं सभी के लिए सुरक्षित, अहिंसक, समावेशी और प्रभावी सीखने के वातावरण प्रदान करने वाली शिक्षा सुविधाओं का निर्माण और उन्नयन हेतु जोर देना।

घरेलु कामगारों का त्रैमासिक हाउसकीपिंग ट्रेनिंग

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत स्कोप के सहयोग घरेलु कामगारों का तीन माह का हाउसकीपिंग ट्रेनिंग संपन्न हुआ। प्रभिभागियों की सहूलियतों को देखते हुए प्रशिक्षण को दो जगहों पर आयोजित किया गया। पहला केंद्र-पूर्वी लोहानीपुर तथा दूसरा केंद्र दीघा घाट पटना में रखा गया। इस प्रशिक्षण में वैसी महिलाओं एवं लड़कियों को चुना गया जो प्रशिक्षण के बाद वास्तविक रूप से कार्य कर सके। प्रशिक्षण के विषय-वस्तु-

1- **सामाजिक विश्लेषण** –समाज और सामाजिकता क्या है। लोग आपको किस प्रकार देखते हैं। समाज के लोगों विशेषकर जहां काम करना है उसके परिवेश का आकलन व विश्लेषण कैसे करेंगे ताकि असामनता, भेदभाव, गैर-बराबरी आदि को लेकर कोई समस्या नही हो।

2- **अंतर-वैयक्तिक संप्रेषण** -कार्यस्थल पर हमारी बातचीत का स्तर कैसा होना चाहिए? हमें अपने हक, अधिकार, परेशानियों को कैसे रखना व संप्रेषण करना है?

3- **अंत:वैयक्तिक संप्रेषण**-हमारा, दृष्टिकोण, सोच, व्यवहार, अनुशासन, समयपालन, अवलोकन, भाव-भंगिमा, चेहरे का भाव, देहबोली, देखना आदि के तहत हमारा अंत:व्यक्तिक संप्रेषण कैसा होना चाहिए।

4. **नेतृत्व क्षमता विकास**-नेतृत्व क्या है, नेतृत्व के गुण, प्रकार, निर्णय, सहभागिता आदि पर चर्चा की गई।

5- **घर का रख-रखाव व प्रबंधन** -इसके तहत हाउसकीपिंग के तमाम प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई, जैसे-झाड़ू-पोछा, साफ-सफाई, साज-सज्जा, खाना बनाना, विभिन्न प्रकार के डिसेस बनाना/रिसेपी तैयार करना, बेड मेकिंग आदि। इसके साथ ही विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन की तमाम कुशलताओं के बारे में जानकारी दी गई।

किशोरी मदद समूह एवं घरेलू कामगारों का शैक्षणिक भ्रमण

जैसा कि हम सभी जानते एवं अनुभव करते हैं कि कोई भी इंसान को एक ही महौल में रखा जाये तो वह मानसिक एवं शारीरिक रूप से कमजोर व अविकसित होता है। वह समूचित रूप से बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता है। उन्नति के नये आयामों को टटोल या खोज नहीं सकता। वह काम के बोझ, अनुशासन व समय के साथ जिम्मेवारियों का निर्वहन करते-करते शारीरिक व मानसिक रूप से थक जाता हैं। कहते है कि कुएं का मेढ़क बाहरी दुनियां से अपरिचित होता है और उसी परिवेश को अथाह सागर समझता है। इसलिए मानसिक रूप से आराम, एक-दूसरे से मिलना-जुलना, आनंद व सीखने के लिहाज से दो दिवसीय शैक्षणिक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन मदद संस्था के द्वारा किया गया। यह भ्रमण विशेष रूप से किशोरियों एवं घरेलू कामगारों के लिए पटना के विभिन्न प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक स्थलों को देखने एवं समझने के लिए आयोजित किया गया था। इस आयोजन में संस्था के पदाधिकारी एवं कार्यकताओं ने भाग लिया।

हमारा स्वास्थ्य हमारी आजाव-एक अभियान

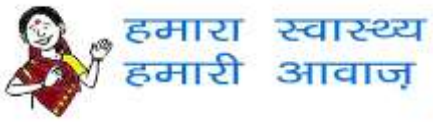

हमारा स्वास्थ्य, हमारी आवाज (एच.एस.एच.ए) अभियान क्या है?

किशोरियों एवं महिलाओं की आवाज, उनकी जरूरतों और प्राथमिकताओं को मुखर स्वर देने के उद्देश्य से मदद एवं सेंटर फॉर केटेलाइजिंग चेंज (सी३) ने ***'हमारा स्वास्थ्य, हमारी आवाज'*** नाम का एक अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंच बनाना था ताकि यह समझा जा सके कि संबंधित जिलों में माताओं के स्वास्थ्य की उत्तम देखभाल के संबंध में उनकी क्या राय है। साथ ही जिलों में प्रजनन और मातृत्व स्वास्थ्य को सुधारने के लिए उनके एक विचार को जानने के लिए उन्हें प्रत्यक्ष रूप से संलग्न किया जाए। हमारा स्वास्थ्य, हमारी आवाज अभियान की शुरुआत से लेकर अंत तक यह जानने का भरसक प्रयास किया कि गुणवत्तापूर्ण देखभाल के संबंध में महिलाओं की क्या राय है। इसके लिए मदद एवं सेंटर फॉर केटेलाइजिंग चेंज के संयुक्त प्रयास से बक्सर व भोजपुर जिला से २००० महिलाओं के साथ बाचतीत की गई। बातचीत विशेष रूप से १५ से ४९ आयु वर्ग की किशोरियों एवं महिलाओं से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत की और गुणवत्तापूर्ण देखभाल के संबंध में उनकी अपेक्षाओं को जाना। हालांकि यह अभियान सी३ बिहार के तमाम जिलों में चलाया। इस अभियान के द्वारा राज्य भर की सभी महिलाओं ने अपनी अपेक्षाओं को आवाज दी है। इस अभियान से संस्था की क्षेत्रों में पहचान स्थापित हुई है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण देखभाल के संबंध में महिलाओं के नजरिए को समझा गया और इसका असर स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़े इसके लिए कार्य भी किया जा रहा है जिससे मातृत्व और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।

अभियान के मुख्य उद्देश्य

१. **महिलाओं की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त किए जा सकें।**
२. **महिलाओं की आवाज पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि यह समझा जा सके कि गुणवत्तापूर्ण प्रजनन और मातृत्व देखभाल के लिए वे क्या चाहती है।**
३. **उनकी आवाज को उच्च स्तरीय राजनैतिक नेतृत्व के समक्ष प्रस्तुत करना, इस उम्मीद के साथ कि वे समझेंगे कि महिलाएं गुणवत्तापूर्ण देखभाल के संबंध में किस बात को महत्व देती है और उनसे क्या अपेक्षाएं रखती है।**

महिलाओं की अपेक्षाएं

- बिहार की ७४,९७३ महिलाओं द्वारा सौंपे गए विचारों (ों) का विश्लेषण किया गया। निष्कर्षों से संकेत मिला कि महिलाएं क्या चाहती है, जैसे-
- ३८ प्रतिशत महिलाओं ने मातृत्व स्वास्थ्य की सुविधाओं, सेवाओं और आपूर्तियों तक पहुंच हो।
- ३० प्रतिशत महिलाओं सेवाओं में गरिमापूर्ण और सम्मानजनक तरीके से देखभाल होना चाहिए।
- १० में से ४ महिलाओं ने मुफ्त दवाओं और चिकित्सा जांच, ब्लड बैंक की सुविधा, प्रसव उपरांत देखभाल जैसी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता होनी चाहिए।
- १८ प्रतिशत महिलाओं ने स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता चाहती हैं।
- ११ प्रतिशत महिलाएं चाहती हैं कि ने साफ-सुथरे स्वास्थ्य केंद्र की।
- १० में से ३ महिलाएं यह भी चाहती हैं कि स्वास्थ्यकर्मी सम्मानजनक व्यवहार करें।
- महिलाएं चाहती है कि केंद्रों पर जाति या धर्म आधारित भेदभाव न किए जाएं।
- वार्ड में एक महिला मरीज के लिए एक बेड हो।
- प्रसव के दौरान एक साथी, जांच और उपचार के दौरान एकांत और गोपनीयता का ख्याल रखा जाए।
- मुलाकात के लिए निश्चित समय और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मुलाकाती कमरा की व्यवस्था हो।
- पूरी जानकारी और परामर्श, साफ-सुथरे शौचालय और प्रसव कक्ष, कुशल डॉक्टरों, स्पेशलिस्ट्स और फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों की उपलब्धता हो।

उपरोक्त प्रतिफलों के आधार पर भविष्य की कार्ययोजना बनाकर कार्य भी किया जा रहा है।

स्टेट कन्वेंशन-
बालिका शिक्षा:संभावनाएं एवं चुनौतियां

कार्यक्रम -एक नजर में

दिनांक, २७ नवबंर २०१६ को मदद संस्था एवं नेशनल कोएलिशन फॉर एजुकेशन (एनसीइ), नई दिल्ली के संयुक्त प्रयास से मलाला परियोजना अंतर्गत बालिका शिक्षा : अवसर एवं चुनौतियां विषयक पर राज्य स्तरीय सम्मेलन (कन्वेशन) का आयोजन स्थान-ए.एन. सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना, बिहार किया गया। इस सम्मेलन में गर्ल लीडर, एडवोकेसी ग्रुप के सदस्य, संस्था के कार्यकर्ता व पदाधिकारी, शिक्षाविद्, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, लेखक आदि भाग लिया।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री श्याम रजक, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा ने किया जबकि अध्यक्षता श्री विनय कंठ, शिक्षाविद्, पटना ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्री श्याम रजक ने कहा कि इतिहास गवाह है कि हमेशा स्त्रियों को हमेशा से शोषण-दोहन होते रहा है। इस दोहन का प्रमुख कारण है-अशिक्षा। कहा गया है कि जिस परिवार में नारी का सम्मान एवं शिक्षा-दीक्षा दिया जाता है वह परिवार सदैव विकास करता है। आप सभी किशोरियां देश-परिवार की धरोहर एवं रीढ़ हैं। यदि आप जागरूक हैं तो पूरा परिवार, गांव व देश जागरूक, स्वावलंबी एवं समृद्ध होगा। जिस तरह मदद संस्था ने अपने क्षेत्र में किशोरियों को जागरूक किया है, नेतृत्व प्रदान किया है, यह देखकर बहुत ही खुशी होती है। सरकार भी आपके शिक्षा विकास के लिए प्रयासरत है। सरकार आपको साईकिल इसीलिए दिया है कि आप एक साकारात्मक महौल स्थापित करिए। दूर के विद्यालय को अपनी उर्जा, शक्ति, अदम्य साहस से सीमित कर दीजिए। आप अपने क्षेत्र में सभी छीजित बालिकाओं का नामांकन कराया है हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है।

सम्मेलन के निम्नवत मुख्य उद्देश्य-

- विद्यालयों में छीजन (ड्राप्ट आउट) को रोकना एवं विद्यालय से बाहर रह रही बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित कराना।
- विद्यालयों में होने वाले लिंग-जेण्डर असमनता, भेदभाव आदि को कम करने के लिए विद्यालय शिक्षा समिति को सशक्त बनाना।
- जिला व राज्य स्तर पर एडवोकेसी ग्रुप (जिसमें अभिभावक, शिक्षक, एसईसी, मीडिया, विधायक, सांसद गर्ल लीडर आदि) के सहयोग से शिक्षा अधिकार अधिनियम/आरटीई के तहत् १२ वीं कक्षा तक मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन करवाना ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम, अतिपिछड़ी, एवं अन्य कमजोर वर्गों की बालिकाओं का शिक्षा विकास में सहयोग किया जा सके।

पिछले १५ वर्षों में भारत ने सार्वभौमिक शिक्षा में अच्छा विकास किया है। परंतु प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से लड़कियों की स्थिति दयनीय रही है। अधिकतम बालिकाएं प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा से वंचित रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक ८४ प्रतिशत बालिकाएं प्राइमरी कक्षा में दाखिला लेती है जिनमें से मात्र ५१ प्रतिशत ही सेकेंडरी में जा पाती हैं जिनमें सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़किया सबसे ज्यादा ग्रसित हैं, जहां मात्र ४८: अनुसूचित जाति तथा ६२.४: अनुसूचित जनजाति लड़किया कक्षा १० तक पहुंचने से पहले ही किन्हीं कारणों से पढ़ाई छोड़ देती हैं।

शिक्षा का अधिकार कानून २००९ में ८ वर्ष अर्थात कक्षा ८ तक की मुफ्त शिक्षा का प्रावधान करता है परंतु उसके पश्चात् ४ वर्ष अर्थात कक्षा १२ की बात नहीं करता जो कि सिर्फ जीने के लिए ही नहीं जीवन में आगे बढ़ने के लिए अतयंत आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार कानून २००९ में और ४ वर्ष अर्थात १२वीं तक की शिक्षा को सम्मिलित क्यों नहीं किये जाने चाहियेद

पात्रता-सभी लड़कियों के लिए कक्षा १२ तक की शिक्षा आवश्यक है जिससे वह अपनी क्षमता को ठीक तरह से पहचान सकें तथा वह विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकें, जो कि पूर्ण मानसिक विकास तथा कौशल प्राप्त करने कि लिए अतयंत ही महत्वपूर्ण है। सिनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा मुफ्त होना उन लड़कियों के लिए जो समाज के कमजोर वर्ग से आती हैं एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है जो उनके आत्म-सम्मान, आमदनी में वृद्धि, एक स्वस्थ जीवन जीने तथा देश के विकास के लिए आवश्यक है। नेशनल कोएलीशन फॉर एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा किये गये सर्वे में भी यह निकल कर सामने है जो बालिकाएं सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं उनके लिए वर्ग ८ के पश्चात की पढ़ाई जारी रखना कठिन हो जाता है क्योंकि उनके परिवार विद्यालय के खर्च को वहन नहीं कर पाता है फलस्वरूप बालिकाओं को स्वयं या परिवार के असहयोग के कारण पढ़ाई को विराम देना पड़ जाता है। अंततः कम उम्र में शादी होने को बल मिलने लगता है।

वर्ष २०१४ में विश्व ने मिलकर भविष्य में पूरे विश्व के विकास के लिए एक योजना बनायी जिससे सतत् विकास लक्ष्य २०३० कहा गया; जिसमें सतत् विकास लक्ष्य ४.० में कहा गया है-

"सन् २०३० तक सभी बालक एवं बालिकाएं कम से कम १२ वर्ष का मुफ्त, बराबर तथा प्राइमरी एवं सेकेंडरी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा ग्रहण करें जिसमें से ९ वर्ष की शिक्षा अनिवार्य होगी।"

वर्तमान मे विश्व से अनुभव-पूरे विश्व में ये बात मान ली गई है कि १२ वर्ष तक की शिक्षा किसी भी बच्चे के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार पर अंतराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र तथा सतत् विकास लक्ष्य २०३० में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में उठाया गया है।

केस अध्ययन

lk>h igy

नाम-रेणु कुमारी व चांदमुनी कुमारी, गांव-धर्मपुरा, अंचल-इटाढ़ी, जिला-बक्सर, राज्य-बिहार

रेणु एवं चांदमुनी धर्मपुरा गांव के दलित बस्ती में रहती हैं। ये आपस में अच्छी सहेली हैं। ये हमेशा अपनी बस्ती की लड़कियों के लिए कुछ करती रहती हैं। फिलहाल ये दोनों **किशोरी मलाला समूह** की जिला स्तरीय, गर्ल्स लीडर (छात्र नेता) के रूप में काम कर रही हैं। जिस गांव में रहती हैं उस गांव में लगभग ३८ प्रतिशत दलित समाज के लोग रहते हैं। इसी गांव में बालिकाओं के पढ़ने के लिए एक कन्या प्राथमिक विद्यालय भी हैं। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य भी अनुसूचित जाति से आते हैं जो बहुत ही व्यावहारिक व अनुभवी हैं। हालांकि यदि हम संबंधित कन्या प्राथमिक विद्यालय की बात करें या बालिकाओं के छीजन (ड्राप्ट आउट) तथा विद्यालय से बाहर (आउट ऑफ स्कूल) रहने वाली बालिकाओं की तो परिणाम बेहतर नहीं है। ज्यादातर बालिकाएं छीजित है। विद्यालय से बाहर है। परंतु कागजीतौर पर सौ फीसदी बालिकाओं का नामांकन हो चुका है। अर्थात स्थिति चिंताजनक है।

बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा सभी विद्यालयों में एक कार्यक्रम "मुहिम" (हर बच्चा स्कूल जाए, कोई बच्चा छूट न पाए) चलाया गया। इस मुहिम में यह भी कहा गया कि यदि कोई शिक्षार्थी ३० दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन व अभिभावक के सहयोग से छीजित बच्चों को विद्यालय में लाया जायेगा। इस कार्य के लिए "संभावित छीजित बच्चे" पंजी संधारित की गई जो सौ फीसदी बच्चों की उपस्थिति को दर्शाना था। हालांकि जिम्मेवार व्यक्तियों द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे छीजित बालिकाओं का विद्यालय में उपस्थित दर्ज नहीं हो पायी।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए किशोरी मलाला समूह की रेणु एवं चांदमुनी ने अपने स्तर से चिन्हित छीजित व विद्यालय से बाहर रह रही बालिकाओं को रोज तीन घंटे पढ़ाती हैं। ताकि वर्ग स्तर की शिक्षा देकर पुनः इन्हें नामांकित कराया जा सके। कुछ कमजोर बालिकाएं शर्म से विद्यालय नहीं जा पा रही थी वे अब विद्यालय का रूख कर चुकी है। गांव में बालिका शिक्षा को लेकर खुशनुमा माहौल की स्थापना हो चुकी है। अभिभावक भी इस अभियान में मानसिक रूप से तैयार हो चुके हैं। इस सांझी पहल को देखकर अन्य गांवों की छात्र नेताओं ने अपने स्तर से, अपने समूह की बालिकाओं को संबंधित विद्यालय में नामांकन हेतु प्रयास करने लगी है।

आज

पटना

शिक्षा के बिना मानव का उत्थान संभव नहीं: श्याम

हिन्दुस्तान

www.livehindustan.com

तरक्की को चाहिए नया नजरिया

बिहार का नं. 1 अखबार

नुकसानदेह है शिक्षा नीतियों में बदलाव

कार्यशाला

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

दैनिक जागरण

लड़कियों में असीम ऊर्जा, बदल सकती हैं समाज : विधायक

अशिक्षा बहुत बड़ी समस्या

लड़कियों ने रखी बात

hindustan times

hindustantimes.com

HINDUSTAN TIMES PATNA MONDAY, NOVEMBER 28, 2016

'Need to empower, educate marginalised girls'

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
हिन्दुस्तान
पटना • सोमवार • 28 नवम्बर 2016

बालिकाओं के कंधों पर जिम्मेवारी

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
पटना • बुधवार • 13 अप्रैल 2016 सहारा

किशोरी नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण आयोजित

दैनिक जागरण
बक्सर जागरण
मलाला बनायेंगी 'बहनों' को सशक्त

हिन्दुस्तान
तरक्की को चाहिए नया नजरिया
www.livehindustan.com
किशोरियों को दी जाए बेहतर शिक्षा

दैनिक जागरण
किशोरियों ने जाने शिक्षा के अधिकार : डीईओ

भास्कर
किशोरी नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण का आयोजन

प्रभात खबर
बक्सर
13.04.2016
किशोरियों को मिला नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण

दैनिक जागरण
लड़कियों में असीम ऊर्जा, बदल सकती हैं समाज : विधायक